

स. प्रशा/जी/जी-15/810

संयुक्त कुलसचिव (लेखा)  
विश्वभारती

विषय : विश्वविद्यालय के बाह्य स्रोत कामगार के पुनर्नियुक्ति हेतु अनुमोदन ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा नियम एवं शर्तों के आधार पर दिनांक 30.03.2022 से 26.06.2022 तक की अवधि हेतु विश्वविद्यालय के 398 (तीन सौ अठानवे) बाह्य स्रोत कामगार (संलग्न सूची) को पुनर्नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

सभी बाह्य स्रोत कामगार के, संलग्न सूची के अनुसार, निर्दिष्ट वेतन/पारिश्रमिक व्यय बजट शीर्ष से खर्च किए जाएंगे।

संलग्न : यथोपरी

हस्ता/-  
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)  
विश्वभारती

सूचनार्थ निम्नलिखित प्रति इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है की नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से पूर्व दस (10) दिन पहले उप कुलसचिव (प्रशासन) को 29.06.2022 से अगले 89 दिनों का अपने नियंत्रणाधीन कामगार के पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव भेजें। यदि निर्दिष्ट अवधि के तहत उक्त प्रस्ताव की प्रति नहीं होती है तो, यह मान लिया जाएगा कि संबंधित कामगार को पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है एवं तत्पश्चात उनकी सेवाए विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे।

1. विश्वविद्यालय के सभी निदेशक/भवनों के प्रिंसिपल/विभाग
2. अकादमिक विभाग एवं प्रशासनिक कार्यालय/अनुभाग के प्रधान
3. वित्त अधिकारी (कार्यकारी)
4. कुलानुशासक
5. छात्र कल्याण के अध्यक्ष
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (कार्यकारी), पियर्सन मेमोरियल हॉस्पिटल
7. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
8. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (कार्यकारी)
9. प्रभारी, सुरक्षा, विश्वभारती
10. राजभाषा प्रकोष्ठ - अनुरोध है कि हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
11. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
12. कुलसचिव के निजी सहायक
13. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

हस्ता/-  
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)  
विश्वभारती